

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय

क्रमांक / एफ-५५-१/२०१९/२०-२/५५३

आदेश

गोपल, दिनांक २०/०६/१९

राज्य शासन द्वारा पूर्व में वी.एड. पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क संबंधित सभी आदेश/निर्देशों को निरस्त करती हुए राज्य के शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों, प्रान्त शैक्षिक अध्ययन संस्थान एवं राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान में संचालित वी.एड. (नियमित) पाठ्यक्रम हेतु शासकीय / स्थानीय निकायों के प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों हेतु निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जाता है:-

सं.क्र.	भेद	शुल्क रूपरेखा (प्रति वर्ष)
1	खेलकूद / शारीरिक शिक्षा	₹.500.00
2	मूल्यांकन / स्थानीय परीक्षा शुल्क	₹.500.00
3	साहित्य एवं सांस्कृतिक शुल्क	₹.500.00
4	विज्ञान एवं मनोविज्ञान प्रयोगशाला शुल्क	₹.1000.00
5	वाचनालय एवं इंटरनेट	₹.1000.00
6	महापत्रिका एवं अन्य प्रकाशन	₹.500.00
7	विविध शैक्षिक ग्रंथ एवं नवाचार	₹.1000.00
8	पुस्तकालय कौशल मनी	₹.1000.00
9	शोध अनुसंधान	₹.1000.00
10	गहन संसाधन विकास शुल्क	₹.2000.00
11	कौशल मनी	₹.1000.00
	कुल योग-	₹.10,000 (दस हजार रुपये मात्र)

नोट:- उक्त तालिकाओं में उल्लेखित क्रमांक 8 एवं 11 पर ली जाने वाली राशि पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर अथवा छात्र द्वारा प्रवेश लेने के उपरान्त पाठ्यक्रम छोड़ देने पर छात्र को वापसी योग्य होगी। विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम के संबंध में लिखे जाने वाले शुल्क पृथक से देय होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(प्रति)
उप सचिव २५/६/१९

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग